

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक :- 03/प्रो-05-03/2014...../राँची, दिनांक :

-: आदेश :-

वित्त विभाग की संकल्प संख्या-5207/वि० दिनांक 14.08.2002 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत दिनांक 23.06.2017 को विभागीय स्क्रीनिंग समिति की सम्पन्न बैठक में प्राप्त अनुशंसा के आलोक में निम्न सारणी के स्तम्भ-02 में अंकित कनीय अभियंताओं को सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना के तहत स्तम्भ-04 एवं स्तम्भ-05 में वर्णित तिथि से प्रथम एवं द्वितीय वित्तीय उन्नयन का लाभ क्रमशः वेतनमान् रु. 6500-10,500 एवं रु. 10,000-15,200 में स्वीकृत किया जाता है :-

क्रमांक	कनीय अभियंता का नाम/पदस्थापन स्थान/आई.डी. कोड/गृह जिला/ जन्म तिथि	नियुक्ति की तिथि	ए.सी.पी. योजना के तहत स्वीकृत प्रथम वित्तीय उन्नयन की देय तिथि (वेतनमान् 6500-10500)	ए.सी.पी. योजना के तहत स्वीकृत द्वितीय वित्तीय उन्नयन की देय तिथि (वेतनमान् 10000-15200)
1	2	3	4	5
1	श्री शरदचन्द्र श्रीवास्तव/ से० नि० कनीय अभियंता/ जलपथ प्रमंडल, बरही, हजारीबाग/ जे० 5883/रोहतास/01.08.55	05.02.79	09.08.99	05.02.2003
2	श्री रामाकान्त अकेला ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, चाईबासा/जे 8167/रोहतास/ 15.01.64	11.03.87	09.08.99	-
3	श्री अनिरुद्ध प्रसाद मंडल लघु वितरणी प्र० सं०-2 चाण्डिल, जमशेदपुर/जे-9014/कटिहार/ 01.02.68	18.08.89	18.08.2001	-
4	स्व० सुभाष चन्द्र सिंह/ लघु सिंचाई प्रमण्डल, चतरा/ छपरा (सारण)/ जे०-8900/20.05.55	31.10.88	31.10.00	-
5	श्री देव कुमार राम/ ग्रा० वि० वि० प्र०, लातेहार/पलामू/ जे०-8996/15.12.63	02.08.89	02.08.2001	-
6	श्री परमानन्द पासवान/ ग्रा० वि० वि० प्र०, दुमका/मुंगेर/ जे०-9041/31.12.64	06.09.89	06.09.2001	-
7	श्री मुन्नी सिंह/ से० नि०/यांत्रिक प्रमंडल, बनासो/ रोहतास/13.02.46	21.03.79	09.08.99	21.03.2003



1	2	3	4	5
8	स्व० परमानंद सिंह/ भूतपूर्व कनीय अभियंता/रोहतास/ जे०-6568/02.07.1950	27.02.79	09.08.99	27.02.2003
9	श्री मदन प्रसाद सिंह/ से० नि० कनीय अभियंता/ जलपथ प्रमंडल, बरही, हजारीबाग/ जे० 7339/भोजपुर/ 2.10.54	07.07.79	09.08.99	07.07.2003
10	श्री हरिनारायण यादव ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, खूँटी/ भागलपुर/30.08.50	07.02.79	09.08.99	07.02.2003
11	श्री राम लखन मिश्र लघु सिंचाई प्रमण्डल, मेदिनीनगर/ जे 8294/ पलामू/ 20.04.62	19.04.88	19.04.2000	—
12	श्री सुनील कुमार श्रीवास्तव/ खरकई नहर प्र० सरायकेला/आजमगढ़/ जे०-8533/01.07.1963	26.04.88	26.04.2000	—
13	श्री ठाकुर जगत प्रकाश सिंह (से.नि.)/ ग्रा.वि.वि.प्र. जामताड़ा/ जे 6301/13.07.49/शिवहर/	07.02.79	09.08.99	07.02.2003
14	श्री जितेन्द्र सिंह (से०नि०) लघु सिंचाई प्रमण्डल, चतरा/ जे 6424-16/ भोजपुर/12.01.56	31.01.79	09.08.99	31.01.2003
15	श्री देव कुमार सिंह/ सुवर्णरेखा नहर प्र० घाटशिला/वैशाली/ जे०- 5781/17.06.55	02.02.79	09.08.99	—
16	श्री अखिलेश कुमार सिंह(से.नि.) तेनुघाट बंध अंचल, तेनुघाट/ छपरा/जे०- 6718/07.10.52	22.02.79	09.08.04	—
17	श्री हरि शंकर चौधरी/सुवर्णरेखा नहर प्र० जमशेदपुर/रोहतास/ जे०-5971/07.01.58	07.02.79	09.08.99	07.02.2003
18	श्री उजियार प्रसाद सिंह/ सेवा नि०/खगड़िया/ J-6673/07.03.56	24.03.79	09.08.99	—
19	श्री राम बदन महतो/ ग्रा० वि० वि० प्र०, जमशेदपुर/बेगुसराय/ जे०-6267/02.01.54	02.02.79	09.08.99	02.02.2003

(ख) यह योजना दिनांक 09.08.99 से प्रभावी है किन्तु इसके अंतर्गत वित्तीय लाभ दिनांक 15.11.2000 से देय होगा।

98

- (ग) वित्तीय उन्नयन के तहत देय वित्तीय लाभ, उन्नयन के फलस्वरूप निर्धारित वेतन का वित्त विभाग से सत्यापनोपरांत ही देय होगा।
- (घ) उपर्युक्त स्वीकृत वित्तीय उन्नयन में अगर कोई त्रुटि पायी जाती है अथवा मंत्रिमंडल निगरानी या किसी अन्य स्रोत से निगरानी स्वच्छता प्रतिवेदन प्रतिकूल प्राप्त होता है तो स्वीकृत लाभ को रद्द/संशोधित कर भुगतान की गई राशि की एक मुश्त वसूली कर ली जायेगी और इसके विरुद्ध किसी प्रकार का दावा सरकार या न्यायालय में विचारणीय नहीं होगा।
- (ङ) प्रस्ताव पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

ह./-

(मनोज कुमार)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक :-

राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./-

(मनोज कुमार)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक :-

राँची, दिनांक :-

प्रतिलिपि:- संबंधित कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह./-

(मनोज कुमार)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक :- 2021

राँची, दिनांक :-

03-07-12

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/अभियंता प्रमुख-01 एवं 02, जल संसाधन विभाग के प्रधान आप्त सचिव/संबंधित सभी मुख्य अभियंता/संबंधित सभी अधीक्षण अभियंता/अवर सचिव(प्रबंधन)/उप सचिव(प्रबंधन)/संबंधित सभी कार्यपालक अभियंता/प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग, झारखण्ड राँची/मुख्य अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रक्षेत्र, राँची/संबंधित सभी कनीय अभियंता/प्रशाखा-02, 03 एवं 08/वेब इन्फोरमेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची/बायोडाटा कोषांग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/7/17

(मनोज कुमार)

सरकार के अवर सचिव

शे